

दि 19/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वादी स्वयं  
अनुपस्थित। न्यायालय समय में वादी वकील व वादी  
को रूक-रूक कर तीन बार आवाज लगाई गई, लेकिन  
न ही वादी वकील उपस्थित हुआ और न ही वादी  
स्वयं उपस्थित हुआ। अतः पत्रावली अदम हज़मी/  
अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली  
फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

